संख्याः– 112 / 68–2–2019–200(46) / 2018

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 05 फरवरी, 2019**

विषयः–बेसिक शिक्षा के विकास में ''लोकोपकार'' हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा के विकास हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता एवं अपने श्रोतों से बेसिक शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के सुधार हेतु कई संगठन/संस्थायें सहयोग के लिए इच्छुक हैं। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लोकोपकार योगदान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नवत् मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे हैः–

1. **संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने वाले कार्यक्षेत्रः**
शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणी में बॉटा जा सकता हैः–

(अ) कन्सल्टेन्सी/सेवाएं/ज्ञान संबंधी योगदान/प्रशिक्षण जैसेः–

शैक्षिक शोध, अध्ययन तथा मूल्यांकन, समुदाय को गतिमान करना (Community Mobilization), सर्वेक्षण, रिपोर्ट, बेस्ट प्रैक्टिस् का अभिलेखीकरण (Documentation)] अकादमिक विषयवस्तु (Contents) का विकास, टीचिंग लर्निंग मैटीरियल प्रदान करना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, डाटा बेस का विकास, आर0टी0ई0 एक्ट–2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग, शैक्षिक इन्डीकेटर्स के अनुश्रवण हेतु सहयोग आदि।

(ब) विद्यालय, बी0आर0सी0, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छात्र–छात्राओं को वस्तु रूप में (In Kind) सहयोग जैसेः–

अवस्थापना सुविधायेंः पीने के पानी की व्यवस्था, आर0ओ0 वाटर, ए0टी0एम0, बालक–बालिकाओं के लिए शौचालय, विद्यालय की चहारदीवारी, विद्युतीकरण, छात्र–छात्राओं हेतु डेस्क–बैन्च, कम्प्यूटर प्रोजेक्टर आदि, लाइब्रेरी हेतु किताबें, विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण, कम्प्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, इण्टरनेट की व्यवस्था, विद्यालयों की कक्षाओं में (White Board/Green Board) छात्र–छात्राओं के लिए खेलकूद सामग्री की व्यवस्था, छात्र–छात्राओं के लिए स्टेशनरी, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला कोई कार्यक्रम, छात्र–छात्राओं की उपस्थिति के अनुश्रवण हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था,

विद्यालय रखरखाव/इन्टरनेट सेवाओं/सफाई व्यवस्था हेतु आवर्ती सहायता आदि।

2. **संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना एवं प्रस्तावों पर निर्णय लिया जानाः**

(अ) यदि कोई संस्था वस्तु रूप (In Kind) में योगदान उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक है तो संस्था द्वारा प्रस्ताव जनपद स्तर की समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा और तद्नुसार जिलाधिकारी द्वारा संस्था को वस्तु रूप (In Kind) में योगदान देने हेतु अनुमति दी जायेगी। विद्यालय, बी0आर0सी0 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छात्र–छात्राओं को वस्तु रूप (In Kind) में योगदान देने सम्बन्धी संस्थाओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला खेल–कूद अधिकारी	सदस्य
4.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति यथाआवश्यकता, अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित कर सकती है। जनपद की वेबसाइट पर जनसामान्य के लिए Infrastructure Gap से संबंधित विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट पर जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर भी रहेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थाओं के स्वैच्छिक योगदान से विद्यालयों में कराये गये कार्यो के फोटोग्राफ्स भी अपलोड कराये जायेंगे।

(ब) यदि कोई संस्था कन्सल्टेन्सी/सेवाएं/ज्ञान योगदान/प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक है तो संस्था द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के सदस्य/सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा और शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्था को योगदान देने हेतु अनुमति दी जायेगी जिसकी प्रति जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु दी जायेगी। संस्थाओं से प्राप्त कन्सल्टेन्सी/सेवाएं/ज्ञान संबंधी योगदान/प्रशिक्षण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु राज्य स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

1.	निदेशक, बेसिक शिक्षा	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4.	निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद	सदस्य
6.	अपर शिक्षा निदेशक(शिविर), बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ	सदस्य
7.	संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ	सदस्य/सचिव

उक्त समिति यथाआवश्यकता, अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित कर सकती है।

संस्थाओं के लिए राज्य स्तर पर Development partners हेतु एक प्रपत्र (Format) भी विकसित किया गया है जिस पर संस्थाओं को अपने से संबंधित जानकारी (Profile) भरनी होगी **(संलग्न)**

3. प्रस्ताव देने वाली संस्थाओं की अर्हताएं एवं योग्यताएं:
   (1) संस्था भारत की विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत यथा– रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स उ0प्र0 पंजीकरण अधिनियम– 1860, ट्रस्ट एक्ट एवं कम्पनी एक्ट (अनुच्छेद–25) के अन्तर्गत कम्पनी आदि के रूप में पंजीकृत हो। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर कार्य कर रही संस्थाएं भी प्रदेश में कार्य हेतु अर्ह होंगी। यू0एन0ओ0 के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे–यूनीसेफ, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0 आदि भी पात्र होंगे। वस्तुरूप (In Kind) में योगदान देने हेतु स्वतंत्र दानकर्ता (Philanthropist) भी जनपद स्तर पर पात्र होंगे।
   (2) संस्था के उद्देश्य सुपरिभाषित होने चाहिए तथा संस्था के उद्देश्य में शिक्षा संबंधी उद्देश्य सम्मिलित होना चाहिए।
   (3) संस्था आयकर विभाग की आवश्यकताओं यथा–पैन, 12–ए एवं आयकर रिटर्न आदि का पालन करती हो।
   (4) संस्था का पूर्ण विवरण, वार्षिक टर्नओवर एवं किये गये कार्यों का विवरण संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए।
   (5) संस्था फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट (एफ0सी0आर0ए0)/केन्द्रीय/राज्य के नियमों का पालन करती हो।
   (6) संस्था को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो एवं विचाराधीन प्रस्ताव के संदर्भ में संस्था के कार्मिक उचित योग्यता रखते हों।
   (7) संस्था को केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो अथवा किसी न्यायालय/लीगल अथोरिटी द्वारा संस्था की गतिविधियों को अवैध न पाया गया हों।
   (8) संस्था राजनैतिक अथवा राजनैतिक रूप से सम्बद्ध न हो।
   (9) स्वतंत्र दानकर्ता (Philanthropist) का यह दायित्व होगा कि वस्तुरूप में योगदान हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि आय के वैध स्रोतों से अर्जित की गयी हो एवं उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध (convict) न किया गया हो।

4. बाह्य संस्थाओं द्वारा योगदान देने वाली संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय अनुदान नहीं दिया जायेगा। प्रस्तावित कार्य हेतु संस्था द्वारा समस्त प्रकार का वित्तीय भार अपने वैध स्रोतों से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा संस्था को कोई भूमि अथवा भवन का स्वामित्व हस्तान्तरित नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा बेसिक शिक्षा के विकास में प्रस्तावित योगदान देने के बदले में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ संस्था को नहीं दिया जायेगा। यह कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा लोकोपकार के रूप में बेसिक शिक्षा के विकास हेतु योगदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया जा रहा है।

5. ऐसे कार्यो के लिए, जिनके लिए शासन से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है/उपलब्ध है, वाह्य संस्थाओं से सहयोग नहीं लिया जायेगा, ताकि डुप्लीकेसी को नकारा जा सके।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण।
7. निदेशक,साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
9. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

Format

S.No	Project Plan	Coverage Area	Main Activities	Time Line (Main Activities)	Baseline	Sub Activities	Time Line (Sub Activities)	Responsibilities		Monitorable Outcomes for three years			Time Line (Out come)	Verification/ Validation Mechanism	Budget (Lakhs)	Remarks
								Department	Development Partner/ NGOs	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

All main activities as well as sub-activities should be planned in such a way, that it may be quantified as the following outcomes .

1. Improvement in student Enrolment.
2. Improvement in students attendance.
3. Improvement in learning outcomes.
4. Capacity building of teachers – again to be correlated to one of the above outcomes.
5. Infrastructure Development.
6. Other Activities.